संख्या–127 /02/XXVI/2005

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादून: दिनांक: 10 फरवरी, 2005

विषयः–अर्थ एवं संख्या विभाग की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2025/ले0व0जि0से0यो0/2004–05, दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या–219/02–XXVI/2004, दिनांक 10 जुलाई, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अर्थ एवं संख्या विभाग की निम्न योजनाओं हेतु 2004–05 में व्यय के लिए उनके सम्मुख अंकित धनराशि रू0 26,03,000.00 (रूपये छब्बीस लाख तीन हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

| शीर्षक | धनराशि ह0रू0 में |
|---|---|
| 3454– जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | |
| 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | |
| 800–अन्य व्यय | |
| 91–जिला स्तर पर स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों का रख–रखाव | |
| 42– अन्य व्यय | 783 |
| 9101–अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों में इण्टर नेट एक्टिविटी | 1300 |
| 42– अन्य व्यय | |
| 9103–विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण | |
| 42– अन्य व्यय | 520 |
| योग– (रूपये छब्बीस लाख तीन हजार मात्र) | 2603 |

1– वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2004–05 की नई मदो के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4-   संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5-   उपकरण/फर्नीचर का क्रय कार्यालय/पद धारक के मानक के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर अथवा टैण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6-   कम्प्यूटर आदि का क्रय ए0आई0सी0/आई0टी0 की संस्तुति अथवा उनके दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

7-   अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में एकमुश्त स्वीकृतियां जारी करने के पूर्व बजट मनुअल के पैरा–94 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा। यदि इसे पूरा नहीं किया जायेगा तो वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

8-   यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9-   स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिला योजना में जनपदवार इतना ही परिव्यय आबंटित हो और जनपदवार/ योजनावार योजनायें जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितति द्वारा अनुमोदित हो।

10-   इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनागत 800–अन्य व्यय–के अन्तर्गत यथावश्यक "91–जिला स्तर पर स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों का रख–रखाव 42–अन्य व्यय"/ "9101–अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों में इण्टर नेट क्नेक्टिविटी 42–अन्य व्यय" अथवा "9103–विकास कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 42–अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

11-   यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–181/वि0अनु0–3/2005, दिनांक 07 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 127 (1)/02/XXVI/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, पटेल नगर, देहरादून।
2- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट नियंत्रण, उत्तरांचल शासन।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4- वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5- समन्वयक, सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( टीकम सिंह पंवार )
संयुक्त सचिव।

c:\mehra\des 21-08-04